

पंचावली वोट वोटप आमली पर पेस ।

वाढ पत्र वे, लघुदस पुव्यार हे सि ग्राम  
रुपालिया वे अतराजी संख्या 125 रुवावा 5वीधा  
भूमि खातेदार इतीमति वामला देवी पत्नी गानुस  
कलाई 42 हिस्सा व भेरु पिता रुपा कलाई  
42 हिस्सा सविन वडी हुरणी वे नाम दर्ज होव  
वे खातेदार थे।

उत्त आराजी वोटवत खातेदार वारत्पारण  
वामला देवी कलाई व भेरु कलाई दो जो ने  
मिलवार दिनांक 17.1.2008 रुके पिता व 100,000  
एव वारु रूपे वादी को निवृत्त वार रजिस्ट्री  
वादी वे हव मे वारवा दी तथा रजिस्ट्री उत्त  
व्यक्त संख्या व भे वरित आराजी समुल रूप से  
गामान्तवारण जोरपे इंतवार संख्या 686 दिनांक  
20.3.2008 से वादी वे नाम दर्ज होव व वादी  
उत्त वलम संख्या व भे वरित वुरलिया आराजी  
वा खातेदार वारतवार होगपा। तथा वादी वार  
भूमि वा साखिवा होव व वीमपर वारत  
वरता पला अं रहा है।

परन्तु राजरुल रेवार्ड वे वामला देवी  
वे गजाली से उत्त आराजी मे पति वादी  
सधावी राजरुल रेवार्ड मे 1 हिस्सा अक्ल  
वर दिता गपा। राजरुल रेवार्ड मे पति वादी  
संख्या 1 वा नाम होने से पति वादी सं 2  
वा विवाह वरने से 1 हिस्सा उस वे  
नाम पर हो गपा।

अतः पति वादी सं 2 वा नाम विलोपित  
वार वादी वा उत्त आराजी वे समुल  
हिस्से वा वारतवार घोषित विषा जावे।

पञ्जावली व परन्तुत दरत्यानेज वगैरे अक्लान्त  
 विदा गणा/ दिनांक 17.1.2008 को शवातेदार के  
 कमला व भैरव ने मिल कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा  
 वादी देवालाल को विक्रय कर दिया गया/ जिससे  
 पत्र भूनासार सवत् 2061-64 को अमावसी मी नाम  
 वादी को अंश कर दिया/ परन्तु, लिपिक सुत से  
 सवत् 2065+068 को अमावसी मी नाम वादी के  
 माय भैरव व मी नाम लिखा जा कर 1/2 हिस्सा  
 दर्ज कर दिया गया/ जिसको 2 पापदा भैरव ने  
 उठा कर अपना हिस्सा सोहन लाल को, ब्याव  
 कर दिया गया जब की सोहन पर सोहन लाल  
 का वाकजा नहीं हो कर पूर्ण देवालाल का हो  
 ही माना रिपोर्ट बगन्त जेम्प पटवारी से मगवाया  
 गया।

आदेश

वादी को वाद पत्र स्वीकार किया जाता  
 है। लाहसीलदार हमीरगढ को निर्देश दिने  
 जाते हैं कि ग्राम रुपाक्षिया पटवार हल्वा आसली  
 को आ. नं. 125 शवाका डकी घाहे भैरव पित्त  
 अर्थात् 1/2 हिस्सा ब्याड द्वारा सोहन लाल पिता  
 मगनीराम शक्तीव, को विक्रय कर दिया जाते  
 से सवत् 2065 म 68 म नाम अंश कर दिया  
 गया है अतः सोहन लाल का नाम उक्त शवाते से  
 विलोपित किया जाता है। अथवा सोहन लाल  
 विक्रय पत्र की संबंधित हयापालय से वाद  
 दापर कर सवत् 2065 सम्पूर्ण हिस्सा 05 वाक  
 वादी के नाम राजरव शैवाड से रहेगा।

शुद्धों का रिकॉर्ड अपना-अपना रहना करे।

पिछले आज कोर्ट के मध्य आमलीगद  
में सेरे आम सुनाया गया।

पचावली केराला सुमार हो कर  
नाम्बर से काम हो

  
उपस्थित अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, हनारागड

- 1- श्री देवी लाल पित्त रुपा बजाई नि बड़ी हरणी  
 अनाम वादी
- 1- श्री भैरु पित्त रुपा बजाई नि वासी अना हरणी  
 2- श्री सोहनलाल पित्त मगनीराम खलीन, मंगरोप  
 3- लहरीलदा / उपवणीधन, हमीरगढ़ प्रतिवादी

दावा बाबत- 88, 89, 92 व 188 र का अ

मुकदमा नम्बर :- 267/14

निर्णय दिनांक :- 15.5.17

वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से ..... उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.5.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेणु मीना) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।  
 लहरीलदा हमीरगढ़ का निर्देश सिधे जाते हैं कि  
 ग्राम रूपालिया एवं ह. आमली के अ. न. 125 खासा  
 05 बीघा से भैरु पित्त रुपा 1/2 हिस्सा बजाई  
 द्वारा सोहनलाल पित्त मगनीराम खलीन, का विक्रय  
 कर दिया जाने से सन् 2065 से 68 के नाम अंदाज  
 वार दिया गया है।

अतः सोहन लाल का नाम उक्त खत से  
 विलोपित किया जाता है। सोहन लाल विक्रयपत्र  
 के संबंध में थापालय से वाद दूर कर सकता है  
 सम्पूर्ण हिस्सा 05 बीघा वादी के नाम राजस्व  
 रिकार्ड में रहेगा

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.5.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपलब्ध अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक क्लर्क, हमीरगढ़